

नम्बर
अहकाम
की तामील

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

नं.- 51/22 (दावा) कैलाशचन्द बनाम सुक्या वगैरह

किस्म मुकदमा-वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की तामील में जारी हुए

16.5.24

वदी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को विद्दो हेतु प्रस्तुत होने पर आज पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं स्वयं वादी की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलवी एवं विद्दो हेतु निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली को विद्दो करना चाहता है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विद्दो करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

हमने वादी वकील एवं स्वयं वादी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली को विद्दो करना चाहता है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अडचन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत् दावा तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को विद्दो करने को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने एवं विद्दो करने के कारण वादी का वाद खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर(दौसा)

